

□□
**कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,**
□□  
**दोस्रीय कार्यालय कोरबा**  
**(छ०ग्र०)**

**Office of Town & Country Planning Korba (C.G.)**

पत्र  
फॉरम  
ई. प्र०

इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट कोरबा (छ०ग्र०)  
०७७५३-२२११५८  
— cgtownplan.korba@gmail.com

Add.  
Tel. No.  
E-Mail

— Rampur, Korba, Dist. Korba (C.G.)  
— ०७७५३-२२११५८  
— cgtownplan.korba@gmail.com

क्रमांक / १५१२ / वि.अ. ०८ / नवांनि / २०१८  
प्रति.

कोरबा, दिनांक ३१/१२/२०१८

मेरसी सूजन बिल्डर्स,  
भागीदार श्री अशोक कुमार अग्रवाल,  
पिता श्री रसीक बिल्डरी अग्रवाल,  
निवासी रार्मंगला भवन निहारिका रोड कोरबा,  
जिला-कोरबा (छ०ग्र०)

**विषय:-** विकास अनुज्ञा बावत्।

**संदर्भ -** आगाम आवेदन पत्र दिनांक ०४/१२/२०१८।

उपरोक्त विषयालंगत संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित ग्राम-लाटा, पह.न. १८/२६, तहरील कटमोरा, जिला कोरबा (छ०ग्र०) स्थित भूमि खरासा क्रमांक १७/३, १९, ३०/१, ३०/२, २८, २९/१ का भाग, कुल रकबा 144316 वर्गफुट/३.३१ एकड़ भूमि पर कोरबा विकास योजना २०३१ में निर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार आवासीय (भूखण्डीय) उपयोग हेतु विकास को कार्यान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छ०ग्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-१९७३ की धारा ३०(३) एवं छ०ग्र०भूमि विकास नियम-१९८४ के नियम २७ के तहत निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है :-

०१. अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। राम्रूपत तथ्य के संबंध में कोई असत्यता पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसहत की जा सकेगी।
०२. भूमि का व्यापवतन राजरव विभाग से कराना आवश्यक है।
०३. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
०४. परिसर में आवश्यक दुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, मार्ग का विकास, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना आवश्यक होगा।
०५. स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमाकन कराया जाकर सीमाकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
०६. क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा द्वारा पूर्व रवीकृत अभिन्यास ग्राम लाटा में पुष्पपल्लव कॉलोनी फैस-१, फैस-२, फैस-४ में प्रमुख मार्गों की घूंच मार्ग की चौड़ाई २५ फीट रखा गया है, उसी मार्गों को समन्वय करते हुये प्रश्नाधीन भूमि (फैस-६) में पहुंच मार्ग की चौड़ाई २५ फीट रखा गया है। (नानदित्रानुसार)।
०७. छ०ग्र० नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम २०१० की धारा ३३ में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम अनुज्ञा दिनांक से अधिकतम पांच वर्षी तक हो सकेगी।
०८. भवन निर्माण की अनुमति नगर पालिक निगम कोरबा (छ०ग्र०) से प्राप्त करना आवश्यक है। भवन निर्माण के पूर्व एच.टी./एल.टी. विद्युत लाइन के समानांतर भूमि विकास नियमों के अनुसार खुली भूमि रखा जाना आवश्यक होगा।
०९. इस अनुज्ञा का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्ध-शासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है। अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता, इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
१०. रवीकृत विकास अनुज्ञा अंतर्गत अनुमोदित लेआउट में प्रचलित कालोनी नियमों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.आदि का प्रावधान किया गया है, छ०ग्र० निगम पालिक (कालोनाइजर का निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम १९९८ संशोधन (२०१३) के नियम १२ में कालोनी विकास की अनुमति जारी करने के पूर्व सुनिश्चित करना